न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 65/2016

1 चौथू पुत्र हनुमान जाति माली निवासी पहाड़िला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.

अपीलांट

बनाम

1 मस्ताराम पुत्र धन्नाराम
2 ग्यारसीलाल पुत्र धन्नाराम
3 श्योराम पुत्र धन्नाराम
4 पूर्णमल पुत्र धन्नाराम
जाति समस्त माली निवासीगण चिराना, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नवलगढ़ राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प चिराना प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मस्ताराम वगैरह बनाम चौथू मु.नं. 27/2014 आदेश दिनांक 25.05.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा 27/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां आराजी हाल खसरा नम्बर 168 रकबा 1.89 हैक्टेयर शरहद मौजा पहाड़िला तहसील नवलगढ़ के बाबत दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 25.05.2016 के द्वारा स्वीकार कर अपीलान्ट को ता दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। प्रकरण में तारीख पेशी 24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

19.05.2016 थी। उक्त पेश को अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को आगमी पेशी नहीं बताई गई और प्रकरण में दिनांक 25.05.2016 को कैम्प चिराना में तथाकथित सुनवाई कर निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने दिवानी प्रकिया संहिता व राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भाग द्वितीय की प्रावधानों की पालना नही की है। निर्णय जेर बहस में पक्षकारान को अनुपस्थित बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट दिनांक 25.05. 2016 को अनुपस्थित रहें और कानून से आवेदकगण/वादीगण की अनुपस्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी खारिज करना चाहिए था अन्य कोई विकल्प विचारण न्यायालय के पास नहीं था। विचारण न्यायालय ने प्लीडिंग व दस्तावेजी साक्ष्य को बिना डिस्कस किये निर्णय जैर बहस पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को तय करने के आवश्यक तत्व निर्धारित नहीं किये है। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपार क्षति के बिन्दू को तय नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट का प्राईमाफेसी केश नहीं है सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दू भी रेस्पोडेन्टस के पक्ष में नहीं है। अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। कानून से रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि काबिज खातेदार को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में दखल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अपील अपीलांट मन्जूर फरमायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सहखातेदार काश्तकार है। पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण मूलवाद में उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचारांधीन निर्णय दिनांक 25.05.2016 को लोक अदालत कैम्प में पत्रावली रखकर किया गया है। इस दिन की आदेशिका में विचारण न्यायालय ने अंकित किया है कि पक्षकारान अनुपस्थित है। रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल में स्पष्ट प्रावधान है कि वादी/प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थिति रहने पर प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता है गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को अनुपस्थित अंकित कर गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया है। स्पष्ट है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)